

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग


क्रमांक प. 8(1)कार्मिक/क-2/1999

जयपुर, दिनांक:-01.02.2022

आज्ञा

श्री जसवंत सिंह राठी, सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर अपने कार्य के साथ-साथ अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर का कार्य भी संपादित करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-


1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री जसवंत सिंह राठी, सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज. अजमेर।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव।
8. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर।
10. सचिव, राजस्थान कर्मचारी, चयन बोर्ड, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
14. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
15. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
16. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रकाशनार्थ। कृपया संबंधित प्रकाशन की तीन प्रतियां इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें।
17. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।



संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069
3. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

8/2022